



कार्यालय उप वन संरक्षक, टोंक



जखीरा नर्सरी परिसर सवाई माधोपुर रोड टोंक फोन नं.:-01432254479 ई-मेल:-dcf.tonk.forest@rajasthan.gov.in

कमांक एफ () सर्वे/एफसीए/उवस/2018-19/8681
निमित्त,

दिनांक २४/०८/२०१८

अधिशायी अभियन्ता,
राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड
टोंक (राज०)

विषय:-diversion of 2.1 ha. of forest land in favour of executive engineer,
rajasthan agricultural marketing board, division- tonk for construction of
missing link road, (dooni anwa road to chanli maata ji temple) under
forest division tonk, district tonk, rajasthan

प्रसंग:-भारत सरकार का पत्र कमांक सं० ८ बी/राज./०६/४३/२०१५/ए.सी./७०४
दिनांक १५.१२.२०१७ एवं संशोधित पत्र कमांक सं० ८ बी/राज./०६/४३/२०१५
/ए.सी./८१० दिनांक ०९.०२.२०१८ एवं इस कार्यालय के पत्र कमांक २२११ दिनांक
२२.०२.२०१८ के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उक्त प्रस्ताव अन्तर्गत वनभूमि अनारक्षण प्रकरण में वन मण्डल टोंक के अधीन वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित २.१ है० वनभूमि के प्रस्ताव अन्तर्गत भारत सरकार के पत्रांक प.कमांक सं० ८ बी/राज./०६/४३/२०१५/ए.सी./७०४ दिनांक १५.१२.२०१७ एवं संशोधित पत्र कमांक सं० ८ बी/राज./०६/४३/२०१५/ए.सी./८१० दिनांक ०९.०२.२०१८ के द्वारा प्रस्तावित प्रकरण में सेद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। जिसकी पालना में प्रासांगिक पत्र द्वारा इस कार्यालय द्वारा मांग पत्र जारी किया गया था। राज्य सरकार द्वारा दरो में १ जनवरी २०१८ से परिवर्तन होने के कारण संशोधित मांग पत्र निम्नानुसार जारी किया जाता है।

१. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
२. प्रासांगिक स्वीकृति के बिन्दु संख्या २ के अनुसार वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वन भूमि २.१० है० पर क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं १० वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धन राशि (प्रचलित दरो को समाहित करते हुए यथासंशोधित) रुपये ३४३५१८/- अक्षरे तीन लाख तियालीस हजार पांच सौ अठारह रुपये जमा करावें।
३. प्रासांगिक स्वीकृति के बिन्दु संख्या ३ के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा वन विभाग के पक्ष में वन (संरक्षण) अधिनियम १९८० के उल्लंघन फलस्वरूप दण्डात्मक क्षतिपूर्क वृक्षारोपण के अंतर्गत प्रभावित वन भूमि २.१० है० के १० गुने अवनत वन भूमि पर (२.१X१०=२१ ha.) अर्थात् २१ है० पर क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं १० वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धन राशि (प्रचलित दरो को समाहित करते हुए यथासंशोधित) २८६२३००/- रुपये अक्षरे अठाईस लाख बासठ हजार तीन सौ रुपये जमा करावें।
४. प्रासांगिक स्वीकृति के बिन्दु संख्या ४ के अनुसार NPV की राशि क्लास थर्ड ऑपन फोरेस्ट की दर ६,२६,०००/- प्रति हैक्टर की दर से २.१० है० वनभूमि हेतु १३१४६००/- रुपये अक्षरे तेराह लाख चौदाह हजार छः सौ रुपये जमा करावें।
५. प्रासांगिक स्वीकृति के बिन्दु संख्या ६ के अनुसार प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमास्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। इस हेतु विस्तृत तखमीना संलग्न तखमीना अनुसार रुपये २८५००/- अक्षरे अठाईस हजार पांच सौ रुपये जमा करावें।
६. प्रासांगिक स्वीकृति के बिन्दु संख्या ८ के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता (अण्डरटेकिंग) प्रस्तुत करेंगे की आई आर सी के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) सेंट्रल जोन बेंच भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या २७/२०१५ बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक १६.११.२०१५ में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग की निगरानी में सड़क के दोनों तरफ तथा median पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जावेगा।

7. उपरोक्त संदर्भित बिन्दू संख्या 7 पर अंकित शर्त की पालना हेतु मोक डिस्पोजल योजना अनुसार $2X5/100X500X1.00X0.20=100 \text{ CUM @ RS.11900 P.CUM} = \text{RS.11900.00}$ /—कुल ग्यारह हजार नौ सौ रुपये जमा करावें। इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि भविष्य में मोक डिस्पोजल दरों में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई दरो धनराशि जमा कराई जावेगी।
8. उक्त बिन्दू संख्या 2,3,4, से मांगी गई राशि $343518+2862300+1314600$ /— रुपये कुल 4520418 /— अक्षरे पैतालिस लाख बीस हजार चार सौ अठारह रुपये की राशि भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि, प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ लेखा संख्या CAF राजस्थान UBIN 0542750 यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया एम.आई.रोड जयपुर के खाता संख्या 427502050000178 में जमा कराया जाकर पावती रसीद प्रस्तुत करें।
9. उपरोक्त संदर्भित बिन्दू संख्या 5 व 7 में अंकित राशि $28500+11900=40400$ अक्षरे चालीस हजार चार सौ रुपये का डी.डी. उप वन संरक्षक टोंक के नाम देय बनवाकर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।
10. उपरोक्त संदर्भित बिन्दू संख्या 5 पर अंकित शर्त की पालना में इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एनपीवी व क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की धनराशि में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई दरो धनराशि जमा कराई जावेगी।
11. उपरोक्त संदर्भित पत्र के बिन्दू संख्या 9 पर अंकित शर्त की पालना हेतु अण्डरटेकिंग इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।


 (सुचेक गौड)
 उप वन संरक्षक
 टोंक

क्रमांक एफ () सर्वे/एफसीए/उवस/2018-19/

दिनांक /08/2018

प्रतिलिपि —निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी, एफ.सी.ए. राज. जयपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक, अजमेर।
3. सहायक वन संरक्षक, देवली उपरोक्त क्रम में अधिरोपित शर्तों की पालना सुनिश्चित करने हेतु।
4. क्षेत्रीय वन अधिकारी, देवली उपरोक्त क्रम में अधिरोपित शर्तों की पालना सुनिश्चित करने हेतु।
5. लेखा शाखा कार्यालय हाजा।


 (सुचेक गौड)
 उप वन संरक्षक
 टोंक